

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग - 3

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

1. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है।

(हों/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेपों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

आवेदित क्षेत्र वनमण्डलाधिकारी के निरीक्षण हेतु निर्धारित क्षेत्र होने के कारण स्थल निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है।

2. क्या संबंधित वन संरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

सहमत

3. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

वनमंडलाधिकारी धमतरी के प्रतिवेदन से सहमति व्यक्त की जाती है

दिनांक:-

स्थान :- रायपुर

श्री एस.एस. डी. बड़गैय्या
(भा.व.से.)

मुख्य वन संरक्षक
रायपुर वन संरक्षक
(रायपुर वन संरक्षक)